G20

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय पता :– 85–राजपुर रोड़, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून☎ 0135–2740391 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

वनादेश संख्या 01 /1–12(12) देहरादून दिनांक, 04 जुलाई 2023.

तदर्थ पदोन्नति आदेश

इस कार्यालय की पत्र I/8166/2023/1-12(6) दिनांक 20.03.2023 द्वारा वन दरोगा से उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 30.06.2023 में विभागीय चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्री याकूब अली, वन दरोगा की **शासनादेश संख्या 1595/कार्मिक–2/2002, दिनांक 13.05.2003** में पैरा 10 के प्राविधानों के अनुसार **निम्न प्रतिबन्धों** के अधीन वन दरोगा (वेतनमान लेवल–5 रू0 29,200–92,300) से उप वन क्षेत्राधिकारी (वेतनमान लेवल–6 रू0 35,400–1,12,400) के पद पर **तदर्थ प्रोन्नति** की जाती है :–

क्र.सं.	वन दरोगा की दिनांक 01.07.2022 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2	3
1	02	श्री याकूब अली

प्रतिबन्ध :–

1. उक्त तदर्थ प्रोन्नति अग्रिम आदेशो तक के लिये की जायेगी और जिसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है तथा तद्नुसार वन दरोगा के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
2. श्री याकूब अली, वन दरोगा के विरूद्ध चल रही प्रशासनाधिकरण की जांच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन आदि के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी उस दशा में की जाती, यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।
3. यदि माननीय न्यायालय द्वारा श्री याकूब अली (गुणावगुण के आधार पर नहीं) को दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में सक्षम प्राधिकारी इस बिन्दु पर विचार करेंगे कि आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।
4. श्री याकूब अली, वन दरोगा नितान्त अस्थाई रूप से एवं अग्रिम आदेशों तक वर्तमान प्रभाग में ही कार्य करेगें। इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगे
5. यह तदर्थ पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 906/(SS)2023 व अन्य मा0. न्यायालय/मा0 अधिकरण के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

उपरोक्त कार्मिक वर्तमान तैनाती वन प्रभाग/कार्यालय में ही अपना योगदान तत्काल देना सुनिश्चित करें। कार्मिक की पदोन्नति पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

04/07/23

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

D.C. 5.7.2023

पत्रांक : 08 /1–12(12) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. आदेश में अंकित सम्बन्धित अधिकारी / कार्यालय।
4. आदेश में अंकित सम्बन्धित कार्मिक।
5. अधिष्ठान / गार्ड बुक।
6. आई0टी0 प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/07/23

(निशान्त वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक